

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

05/2024

16.01.2024

30.01.2024

उनवान

1. श्री मांगु पुत्र रामा लखारा, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री शिवलाल पुत्र रामा लखारा, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
3. शंकरी पुत्री रामा लखारा, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बंशीलाल पुत्र धुकल लखारा, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. श्री सुखा पुत्र चुन्ना नायक, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
3. कमला पुत्री चुन्ना नायक, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
4. श्री उदा पुत्र भवाना गाडरी, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
5. कंचन पुत्री रंगा नाई, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
6. सायर पुत्री रंगा नाई, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
7. गीता पुत्री रंगा नाई उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
8. जानी पुत्री रंगा नाई, उम्र वयस्क निवासी सांगवा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज0)

-विपक्षीगण


उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी ओमप्रकाश तेली

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सांगवा प0ह0 सांगवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खाता संख्या 573 की अभिलिखित आराजियात 15 व 16 ल किता 02 कुल रकबा 0.6828 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है पर अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।



उपखण्ड अधिकारी


भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को
नोटिस भेजा गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के समन बाद तामिल प्राप्त
होने पर भी नियत पेशी पर अदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत
08 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफ किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता
उपस्थित। उक्त प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई।
इतिर उक्त प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मानला पत्थरगडी का है व प्रार्थी अपनी
आराजियात को पत्थरगडी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चितन
मनू किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश निवृत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का
अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात
जैरबहस के खातेदार कास्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन
(पत्थरगडी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त निवेदन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में
अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगडी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगडी) कराने का आदेश दिया जाता है कि
मौजा सांगवा प०ह० सांगवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकला तहसील व जिला भीलवाडा
की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 573 की अभिलिखित आराजियात 15 व 16
कुल कित 02 कुल रकबा 0.6828 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर
उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का
स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की
जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगडी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00
अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क
रिकाई विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में
आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार
भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में
मिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आनंद निवृत्ति सोमनाथ)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा